

प्ररूप 17
पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39)
और
पेटेंट नियम, 2003
अनिवार्य अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन
(धारा 84(1), 91, 92(1) या 92(क) ; नियम 96 देखिए)

<p>1. आवेदक का नाम, पता और राष्ट्रीयता लिखें</p> <p>2. दस्तावेज की दो प्रतियों में प्रमाणित प्रतियां संलग्न की जाएं</p> <p>3. पूरा पता, जिसके अंतर्गत डाक का कोड और राज्य, साथ ही टेलीफोन तथा फैक्स नं० भी है।</p> <p>4. आवेदक(कों) या उसके प्राधिकृत, रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।</p> <p>5. उस प्रकृत व्यक्ति का नाम, जिसने हस्ताक्षर किए हैं।</p>	<p>मैं/हम ¹ को अनुदत्त पेटेंट सं. तारीख के अधीन, जिसके लिए पेटेंटी है, निम्नलिखित आधार पर अनिवार्य अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने के लिए आवेदन करते हैं, अर्थात् :-</p> <p>मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार इसमें कथित तथ्य और विषय सही है।</p> <p>मेरे/हमारे हित और ऊपर कथित आधार के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के ब्योरे नीचे दिए गए हैं ²</p> <p>.....</p> <p>(क)</p> <p>(ख)</p> <p>(ग)</p> <p>भारत में तामील के लिए मेरा/हमारा पता निम्नवत है :³</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>तारीख</p> <p>हस्ताक्षर⁴</p> <p>⁵ (.....)</p> <p>सेवा में, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय, पता</p> <p>.....</p>
---	---

टिप्पण : फीस के लिए पहली अनुसूची देखिए।